संख्याः 1422/छप्पन–2014–17/2014

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग   लखनऊः दिनांकः 09 सितम्बर, 2014

विषयः **नागरिकउड्डयन निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक/ भत्तों के निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को मासिक पारिश्रमिक शासनादेश संख्या–683/छप्पन–2007–180/2000, दिनांक 13 अगस्त, 2007 तथा शासनादेश संख्याः 1097/छप्पन– 2009–180/ 2000, दिनांक 09 नवम्बर, 2009 के अनुसार भुगतान किया जाता है एवं पायलटों को विशेष उड़ान भत्ते का भुगतान शासनादेश संख्या–1028/ छप्पन–2010– 20/2010, दिनांक 21 जुलाई, 2010 में विहित व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। निदेशालय के नियमित सेवा के कार्मिकों को यथानियम वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है। नागरिक उड्डयन निदेशालय में विभिन्न संवर्गों के कार्मिक 02 तरह – नियमित सेवा और संविदा पर आधारित सेवा से नियुक्त/कार्यरत हैं। इनके द्वारा वेतन–भत्तों/पारिश्रमिक में वृद्धि की माँग विगत काफी समय से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि नागरिक उड्डयन विभाग के कार्मिकों को प्राप्त हो रहे नियत पारिश्रमिक का निर्धारण काफी समय पूर्व किया गया है।

2– उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्याः 1627/छप्पन–2013–38/98 दिनांक 12 नवम्बर, 2013 द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी, जिसमें उनके अतिरिक्त सचिव, नागरिक उड्डयन, प्रमुख सचिव, कार्मिक द्वारा नामित अधिकारी, निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय सदस्य थे। सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल समिति द्वारा

बैठक दिनांक 08.07.2014 में की गयी संस्तुतियों पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त संस्तुतियों के आधार पर विभिन्न श्रेणी के कर्मियों को अनुमन्य पारिश्रमिक एवं भत्ते निम्नवत् अनुमन्य किये जाते हैं।

1. प्रबन्धक (परिचालन):–

प्रबन्धक (परिचालन) के पद पर नियुक्त अधिकारी को रु0 3.50 लाख प्रतिमाह की धनराशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगी, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी।

2. पायलट :

ऐसे पायलट जो 12000 किलोग्राम से अधिक भार के जेट प्रकार के वायुयान के परिचालन हेतु अर्ह हैं :–

क. संविदा सेवा :–

नागरिक उड्डयन निदेशालय की फ्लीट में सम्मिलित 12000 किलोग्राम से अधिक जेट प्रकार के वायुयान के परिचालन के लिए नियुक्त किये गये पायलटों को यदि वे पायलट–इन–कमाण्ड के रूप में कार्य करने की अर्हता रखते हैं तो उन्हें रु0 5.00 लाख से रु0 7.00 लाख प्रतिमाह की रेन्ज में पारिश्रमिक देय होगा, जिसमें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी। यदि ऐसे पायलट जो नागरिक उड्डयन निदेशालय की फ्लीट में सम्मिलित 12000 किलोग्राम से अधिक जेट प्रकार के वायुयान के को–पायलट के रूप में कार्य करने की अर्हता रखते हैं तो उन्हें रु0 4.00 लाख से रु0 6.00 लाख प्रतिमाह की रेन्ज में पारिश्रमिक देय होगा, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी।

ख. नियमित सेवा:–

नियमित सेवा में कार्यरत पायलटों को उन्हें अन्य अनुमन्य वेतन/भत्तों के अतिरिक्त रु0 2.75 लाख प्रतिमाह की धनराशि विशेष भत्ते के रूप में अनुमन्य होगी।

2

ग. **पायलट–इन–कमाण्ड (संविदा सेवा):–**

ऐसे पायलट जो टर्बोप्रॉप वायुयानों/हेलीकॉप्टर के रूप में परिचालन हेतु अर्ह हैं :–

इस श्रेणी के पायलटों को रु0 2.50 लाख से रु0 4.50 लाख की रेन्ज में प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी।

घ. **अन्य पायलटः–**

सुसंगत सेवा नियमावली के अनुसार कामर्शियल पायलट लाइसेन्स धारक ऐसे पायलट जि.नके पास 1500 घंटे या उससे अधिक का उड़ान अनुभव हो, को रु0 1.25 लाख से रु0 2.00 लाख की रेन्ज में प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी।

ड. **विशेष उड़ान भत्ता:–**

उपरिलिखित 12000 किलोग्राम भार तक के जेट वायुयान का परिचालन करने वाले पायलटों को रु0 5,000/– प्रति घंटे की दर से विशेष उड़ान भत्ता देय होगा, जिसकी न्यूनतम धनराशि रु0 25,000/– प्रतिमाह होगी। अन्य पायलटों को रु0 4,000/– प्रतिघंटा की दर से विशेष उड़ान भत्ता देय होगा, जिसकी भी न्यूनतम् धनराशि रु0 25,000/– प्रतिमाह होगी।

3. **विमानन अभियन्ता:–**

(क). वर्तमान में विमानन अभियन्ता को रु0 1.25 लाख से रु0 2.00 लाख प्रतिमाह की रेन्ज में पारिश्रमिक अनुमन्य है, जिसमें मुख्य अभियन्ता को रु0 2.00 लाख तथा अन्य अभियन्ताओं को उनके लाइसेन्स पर नागरिक उड्डयन निदेशालय की फ्लीट में उपलब्ध किसी एक वायुयान/हेलीकॉप्टर का पृष्ठांकन रखने पर रु0 1.25 लाख, दो का पृष्ठांकन रखने पर रु0 1.50 लाख तथा उससे अधिक का होने पर रु0 1.75 लाख की धनराशि दी जा रही है, के स्थान पर रु0 1.50 लाख से रु0 2.50 लाख प्रतिमाह की रेन्ज में पारिश्रमिक अनुमन्य होगा, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि दी जायेगी।

(ख). **अतिरिक्त योग्यता भत्ताः—**
नियमित सेवा में कार्यरत पायलटों एवं वायुयान अनुरक्षण अभियन्ताओं के लिए वर्तमान में अनुमन्य अतिरिक्त योग्यता भत्ता पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, किन्तु उक्त श्रेणियों के अतिरिक्त शेष तकनीकी कार्मिकों को अनुमन्य अतिरिक्त योग्यता भत्ते की धनराशि दोगुनी कर दी जाएगी।

4. **अन्य कार्मिक (संविदा सेवा):—** प्रबन्धक, पायलट एवं अभियन्ताओं को छोड़कर ऐसे सभी कर्मी जो संविदा सेवा पर नागरिक उड्डयन निदेशालय की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत हैं, का पारिश्रमिक उनके द्वारा धारित पद के समकक्ष नियमित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन एवं उस पर अनुमन्य ग्रेड वेतन को जोड़कर उस पर वर्तमान में देय मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता तथा एविएशन भत्ता को जोड़ने के बाद उसके योग पर 10 प्रतिशत की वृद्धि देकर निर्धारित किया जाएगा, जिस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी।

5. **एविएशन भत्ता (नियमित सेवा):—** शासनादेश 1344 / छप्पन—2007—90 / 95 दिनांक 01 जनवरी, 2008 द्वारा निर्धारित एविएशन भत्ते को यथावत रखा जाएगा।

6. **अतिरिक्त दायित्व भत्ताः—** नियमित सेवा / संविदा सेवा में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों जिन्हें महानिदेशक, नागर विमानन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त दायित्व का निवर्हन अपने पद के दायित्वों के अतिरिक्त करना होता है तो नियमित सेवा के अधिकारियों को उनके मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग की 10 प्रतिशत धनराशि अनुमन्य होगी तथा संविदा सेवा पर कार्यरत अधिकारियों को उनके पारिश्रमिक की 4 प्रतिशत धनराशि अनुमन्य होगी। उक्त भत्ता संबंधित अधिकारी को उस तिथि से अनुमन्य होगा, जिस तिथि से उक्त अतिरिक्त दायित्व महानिदेशक, नागर विमानन की सुसंगत सिविल एवियेशन रिक्वायरमेंट / एवियेशन सर्कुलर्स के अधीन मान्य हो।

4— नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों के वेतन—भत्तों / पारिश्रमिक / अन्य भत्तों के सम्बन्ध में समय—समय पर पूर्व में निर्गत आदेश उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझे

जायेंगे और इस शासनादेश के अनुसरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ०प्र० के स्तर पर सम्पादित की जाएगी और यथावश्यकतानुसार विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों के लिए आदेश निर्गत किये जाएंगे।

भवदीय,

(एस०के० रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 1422(1) / छप्पन–2014–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार–प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 / 2 / वित्त (लेखा) अनुभाग–1, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
6– वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।